



स्वास्थ्य मिशन  
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
कार्यालय राज्य स्वास्थ्य समिति



क्रमांक / एन.एच.एम / सं.वि / 2021 / 6668

भोपाल, दिनांक 12/04/2021

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- कोविड केयर सेंटर के संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

संदर्भ :- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें का आदेश कं. आई.डी.एस.पी / 2020 / 439 दिनांक 15.04.2020

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से कोविड केयर सेंटर के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इन निर्देशों की कंडिका 12 को संशोधित करते हुये वर्ष 2021-22 के लिये निम्नानुसार वित्तीय सीमा निर्धारित की जाती है :-

स.क	मद	प्रस्तावित संशोधन
1	बिस्तरों की व्यवस्था	रु. 500 प्रतिदिन
2	भोजन (चाय या दूध, नास्ता, दोपहर एवं रात का भोजन एवं शाम की चाय)	रु. 300 प्रतिदिन
3	परिसर की सफाई, विसंक्रमण एवं रखरखाव	रु. 200 प्रतिदिन
4	भवन जिन्हें चिन्हांकित किया जा सकता है।	छात्रावास एवं अन्य शासकीय भवन
5	मानव संसाधन	1 स्टाफ नर्स, 1 सिक्योरिटी गार्ड एवं 1 सफाई कर्मी (24 घंटों के लिये)
6	डॉक्टर विजिट	दिन में दो बार
7	एम्बुलेंस	1 बीएलएस (आक्सीजन सपोर्ट सहित) 24 घंटों के लिये

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(छवि भारद्वाज)  
मिशन संचालक  
एन.एच.एम

भोपाल, दिनांक 12/04/2021

क्रमांक / एन.एच.एम / सं.वि / 2021 / 6669  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. समस्त सिविल सर्जन, मध्यप्रदेश।
7. उपसंचालक, आई.टी, एनएचएम मध्यप्रदेश की ओर वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।
9. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक  
एन.एच.एम